कार्यालय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सागर
शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर (म.प्र.)

फोन नं. 07582-236270
फैक्स नं. 07582-236457

क्रमांक 6166 /भर्ती शाखा/21 सागर दिनांक 29 /10/2021

//विज्ञप्ति//

मिशन संचालक एनएचएम भोपाल के पत्र कमांक/एनएचएम/एच.आर/2021/10286 भोपाल, दिनांक 29.06.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा एवं अनुबंध शर्तो के आधार पर बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)के तहत शिशुरोग सर्जिकल यूनिट तथा एस.एन.सी.यू हेतु संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के कार्यालय की आवक शाखा में अंतिम तारीख 22/11/2021 शायं 5:30 बजे तक जमा किए जा सकते है।

//एस.एन.सी.यू विभाग के रिक्त पदों का विवरण//

सं.क.	पद का नाम	रिक्त पदो की संख्या					
		अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद
		(UR)	(EWS)	(ST)	(SC)	(OBC)	
01	स्टाफ नर्स	03	–	01	01	01	06

//आर.बी.एस.के. विभाग में रिक्त पदों का विवरण//

सं.क.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या					
		अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद
		(UR)	(EWS)	(ST)	(SC)	(OBC)	
01	एनेस्थेटिस्ट	01	–	–	–	–	01
02	पीडियाट्रिक सर्जन	01	–	–			01
03	स्टाफ नर्स	–	–	01	–	01	02
04	ओ.टी. टेक्नीशियन	–	–	–	01	–	01

//आर.बी.एस.के. विभाग में बैकलॉग के रिक्त पदों का विवरण//

सं.क.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या					
		अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद
		(UR)	(EWS)	(ST)	(SC)	(OBC)	
01	स्टाफ नर्स	–	–	01	–	–	01
02	ओ.टी. टेक्नीशियन	–	–	01	–	–	01

उक्त विज्ञप्ति में आवेदन का प्रारूप एवं विज्ञप्ति का संपूर्ण विवरण महाविद्यालय की बेवसाइट www.bmcsagar.edu.in पर उपलब्ध है।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)

Scanned By Scanner Go

विज्ञप्ति के संबंध में सेवा और शर्तें:–

1. **अवधिः** यह नियुक्ति बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एकमुश्त वेतन पर संविदा नियुक्ति होगी।
2. **आयु सीमाः** आवेदक आयु की गणना 01 जनवरी 2022 के आधार पर की जावेगी।

न्यूनतम आयु – **21 वर्ष**

अधिकतम आयु– मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी–3–11/12/1/3ए भोपाल दिनांक 03.11.2012 व प./सी 3–11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016 में संशोधित आदेश कमांक सी 3.8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04. 07.2019 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा **40 वर्ष** है।

3. पद की शैक्षणिक योग्यताः–

S.No.	Name Of Post	Education Qualification
01	Anesthetists	MD Anesthesia or Diploma Anesthesia
02	Pediatric Surgeon	MCH-Pediatric Surgery/MS/DNB
03	Staff Nurse	Candidates should have B.Sc. Nursing /GNM Degree (Registered in Nursing Council Of MP)
04	O.T Technician	Candidates should have passed 10+2 in any stream with min. 50% ,marks. Diploma in OT (Recognised from Paramedical Council of Madhya Pradesh,Bhopal).

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 27 जून 2017 के अनुसूची–एक की टिप्पणी कमांक –04 को ध्यान में रखते हुए **स्टॉफ नर्स के पद पर केवल महिला आवेदक ही आवेदन कर सकती हैं।**

4. वेतनमानः–

क.	पद का नाम	एकमुश्त वेतन
01	ऐनेस्थेटिस्ट	1,00,000/–
02	पीडियाट्रिक्स सर्जन	1,25,000/–
03	स्टॉफ नर्स	20,000/–
04	ओ.टी. टेक्नीशियन	15,000/–

5. रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
6. आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चला हो अथवा विचारीधीन रहा हो अथवा पुलिस में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण न्यायालय में हुये निर्णय की जानकारी तथा शपथपत्र देना अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर चयन उपरांत जानकारी प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
7. विकलांग आवेदक को आवेदित पद के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य होगा
8. ऐसे उम्मीदवार जो शासकीय/अर्ध्दशासकीय/सार्वजनिक उपकम में कार्यरत है एंव विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेंज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Scanned By Scanner Go

9. **आवेदन शुल्कः**– उक्त पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ ऐनेस्थेटिस्ट/पीडियाट्रिक सर्जन पद हेतु अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग रूपये 2000/–(दो हजांर मात्र) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को रूपये 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) तथा स्टाफ नर्स, ओ.टी.टैक्नीशियन पद के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग रूपये 500/–(पांच सौ रूपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को रूपये 250/–(दौ सौ पचास रूपये मात्र) का बैंक डाफ्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया होकर (अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर) के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा । बैंक डाफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का पूरा नाम, आवेदित पद का नाम,पता एवं फोन नंबर लिखना आवश्यक है । आवेदक द्वारा जिस माह में आवेदन दिया जाता है, उसी माह का बैंक डाफ्ट लगाना होगा। प्राप्त डी.डी. वापस नहीं किए जाएंगे।

10. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** :– आवेदन दिनांक 22/11/2021 तक बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की आवक शाखा में साय 05:30 बजे तक जमा किये जायेगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते है । किसी भी स्थिति मे निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. आवेदक प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें ।

a. **आयु संबंधी प्रमाण के लिये** :–हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशनकी अंकसूची/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य होगा ।

b. **शैक्षणिक** योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र एवं पहचान हेतु आधार/वोटर/ड्राइविंग लाइसेस/अन्य समस्त अंकसूची शैक्षणिक योग्यता अनुसार संलग्न करें।

c. **जाति के प्रमाण पत्रः**– आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। प्रमाणपत्र पर प्रकरण कमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का पद नाम एवं सील होना आव य है अन्यथा प्रमाणपत्र मान्य नहीं किया जावेगा।

12. **आरक्षण संबंधीः–एन.एच.एम मेनुअल अनुसार**

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण कमांक 530 प्रकाशन दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिये निम्नानुसार आरक्षण लागू किया गया है:–

अनुसूचित जनजाति	–	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	–	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	–	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	10 प्रतिशत

(2) **क्षैतिज आरक्षण :– मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार**

13. **सामान्य शर्तेः–**

I. **बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे। एक उम्मीदवार एक ही पद पर आवेदन कर सकता है सभी स्टॉफ नर्स के पदों की गणना महाविद्यालय द्वारा की जावेगी एवं चयनित अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा आर.बी.एस.के. अथवा एस.एन.सी.यू विभाग में भेजा जावेगा।**

II. उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये।

III. ऐसे अभ्यार्थी जो भासकीय/अर्ध्दशासकीय/सार्वजनिक उपकम में कार्यरत है एंव विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेंज सत्यापन के दौरान

Scanned By Scanner Go

वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

IV. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछडा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है।, उन्हें म.प्र. भाासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।

V. अधिश्ठाता, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, द्वारा किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंि ाक या पूर्ण भर्ती प्रकिया को बिना किसी कारण रदद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जबावदारी नहीं होगी।

VI. बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर किसी भी समय किसी भी स्तर पर एक या समस्त आवेदनों को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

VII. वैवाहित स्थिति–एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।

VIII. किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

14. अवकाश पात्रता :– अस्थाई शासकीय सेवकों के समान आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

15. निरर्हतायें:–

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हतकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी–जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा । कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे महिला/ पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- दिनांक 26/01/2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई है वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् द्वितीय प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म हाता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा ।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।
- कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो ।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है अथवा व नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो ।

दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो–दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें ।

Scanned By Scanner Go

1. चयन उपरांत चयनित अभ्यर्थी को इस आशय का 500 रूपये के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प, पर अनुबंध देना होगा कि संविदा नियुक्ति के आधार पर शासकीय सेवा मे नियमितीकरण का कोई हकदार नहीं है।
2. चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
3. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की वेबसाईट www.bmcsagar.edu.in पर उपलब्ध है।

16. चयन प्रकियाः–

प्रावीण्य सूची का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगाः–

- स्टॉफ नर्स में बी.एस.सी./जी.एन.एम. नर्सिंग में प्राप्तांकों का 80 प्रतिशत एवं ओ.टी. टैक्नीशियन हेतु डिप्लोमा में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत लिया जाकर प्रावीण्य सूची का निर्धारण किया जावेगा एवं ऐनेस्थेटिस्ट तथा पीडियाट्रिक्स सर्जन के पद हेतु एम.बी.बी. एस. के प्राप्तांको को 60 प्रतिशत तथा पी.जी. डिग्री धारकों को 20 अंक तथा डिप्लोमा धारकों को 15 अंक दिया जावेगा तत्पश्चात **समस्त पदों हेतु 01 (एक) पद के विरूद्ध 12(बारह)** अभ्यर्थियों को प्रावीण्य सूची के अनुसार बुलाकर 20 अंकों का साक्षात्कार किया जावेगा । तत्पश्चात चयन सूची जारी की जावेगी।
- चयन समिति की अनुंशसा पश्चात चयन सूची को मिशन संचालक एन.एच.एम. द्वारा अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा एवं अनुमोदन उपरान्त ही चयन सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी किए जावेंगें।

17. महत्वपूर्ण टीपः–

- **यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताये और शर्तो को पूरा करते है । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाग्रेगी आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है । यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी ।**
- **नवीन सूचना हेतु अभ्यर्थी निरंतर बुन्देलखण्ड** चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की वेबसाईट www.bmcsagar.edu.in का अवलोकन करते रहें ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)

Scanned By Scanner Go